न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 30/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्राथी – 1. सम्पतराज पुत्र शंकरलाल,
जाति ओसवाल
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.जोधाराम 2.जैसाराम पि.गेनाराम
जाति मेघवाल, निवासी मिठड़ाऊ
3.सायरकंवर पत्नि पन्नेसिंह 4.नगसिंह पुत्र मूलसिंह
5.राईकंवर पत्नि नगसिंह, जाति राजपूत
निवासी गुमाने का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
6.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री मोहनलाल खिलेरी**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री फताराम गोदारा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 13.10.2022

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा भाडा गुल मोहम्मद (गुमाने का तला), तहसील चौहटन में खसरा सं. 267/141 रकबा 48.14 बीघा का आया हुआ है। जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थी रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बना हुआ है।

प्रार्थी के सेढ़ा सेढ़ ही विप्रार्थी सं. 1 से 2 का खेत खसरा सं. 265/141 रकबा 48.15 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 3 से 5 का खसरा सं. [illegible]6/141 रकबा 48.15 बीघा मौजा भाडा गुल मोहम्मद (गुमाने का तला), का आया हुआ है। उक्त विवादग्रस्त भूमि मूल खसरा सं. 141 का ही भाग थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौके पर प्रार्थी का मूल खसरा सं. 141 के मध्य भाग पर कब्जा काश्त है परन्तु प्रार्थी के नाम से दर्ज वर्तमान खसरा सं. 267/141 मध्य भाग के बजाय पश्चिम भाग में कायम किया गया है। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि पूर्व दिशा के बजाय पश्चित दिशा में तथा विप्रार्थी सं. 3 से 5 की भूमि पश्चिम दिशा की बजाय मध्य में तरमीम की गई, जो सरासर गलत है।

प्रार्थी का कब्जा काश्त मध्य भाग में है जो सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल दर्शाया गया है। राजस्व कर्मचारियों ने लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार न करके गलत तरमीम कर दी । लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थी की ढाणी विप्रार्थीगण के पास चली गई है। इसलिए प्रार्थी अपने खेत के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध करवाना चाहता है, जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। प्रार्थीगण को जरिये रजि. एडी नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा ने वकालतनामा एवं विप्रार्थीगण का जवाब पेश किया । तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उभयपक्ष अधिवक्ताओं को स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा भाडा गुल मोहम्मद (गुमाने का तला) के खसरा सं. 267/141, 265/141, 266/141 की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:11 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रपत्र नं

मौकेपर कब्जा अनुसार स्थिति

ख.सं. 266/141 = 265/141 267/141

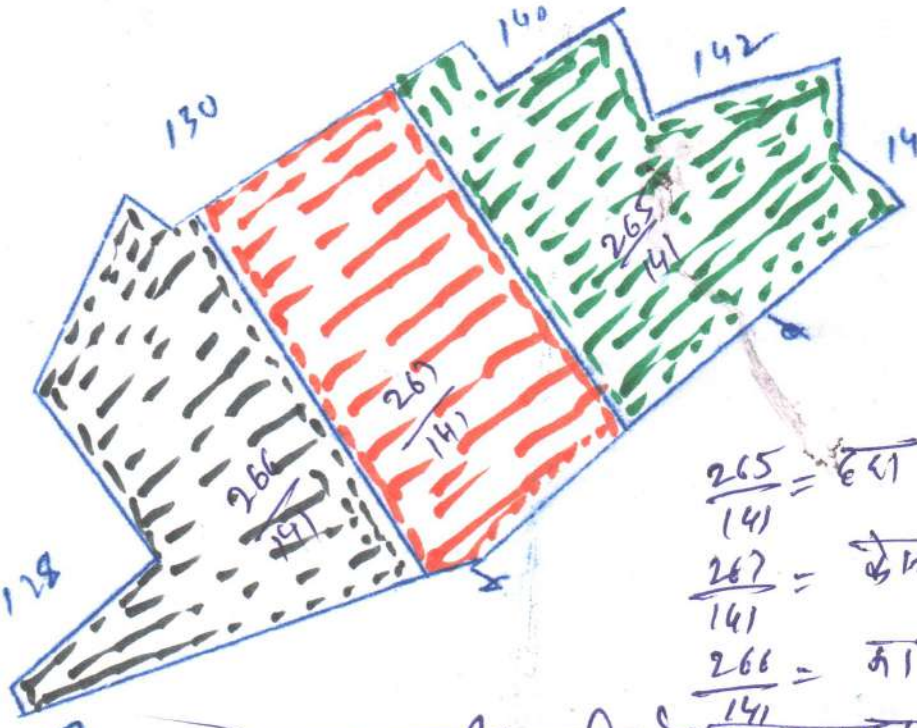

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

265/141 = हेमा

267/141 = केलकीया

266/141 = काला

उपरोक्तानुसार तरमीम शुद्ध है

04.10.22

जैसाराम

नगाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:11 IST
Reason: SelfAttested

5.10.2022

प्रतिवादी

वादी

10/10/22

तहसीलदार चौहटन